ISSN 2348-3857

जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

मुकेश पाराशर
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में जनसुविधाओं के अर्थ एवं इनके विभिन्न प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। आज जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है इस बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप जनसुविधाओं की मांग भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही है। जन जीवन को आसान एवं सुलभ बनाने हेतु सरकार की भूमिका भी बढ़ना स्वाभाविक है। इन विभिन्न प्रकार की जन सुविधाओं को मुहैया कराने में सरकार की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि जनता सरकार को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में कर अदा करती है। बहुत सी जन सुविधाऐं इतनी मंहगी होती हैं कि उनको व्यक्तिगत रूप में उपयोग में लेना आसान नहीं होता है अत: सरकार की इन्हें उचित दर पर मुहैया कराने की नैतिक एवं कानूनी जिम्मेदारी बनती है यथा पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, आवागमन के साधन .....आदि। अगर सरकार इन सुविधाओं से जनता को बंचित कर दे तो एक बड़ा जन समूह कालकलवित हो सकता है। अत: शोध पत्र में मानव के उदय से लेकर सिन्धुघाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल और अब तक के इतिहास काल में जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका क्या थी ? अर्थात भिन्न -भिन्न साम्राज्यों द्वारा अपने अपने काल में किये गये जनहित के कार्यों के बारे में वर्णित किया गया है साथ ही साथ दिन प्रतिदिन बढती हुई मूल भूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकारों को और अधिक प्रयत्न करने पर बल दिया गया है क्योंकि एक ''श्रेष्ठ मानवीय विकास के लिए एक गुणवत्ता पूर्ण जन सुविधाओं'' का विकास होना अति आवश्यक है। अत: जन सुविधाओं के महत्व को बनाये रखने के लिए सरकार की भूमिका को चिह्नित किया गया है।

संकेताक्षर : *जनसुविधाऐं, विकास एवं विस्तार, जनता सरकार, भूमिका*

मानव के उदय के साथ मानव को जीवित रहने तथा मानव जीवन को आसान बनाने एवं गति प्रदान करने हेतु कुछ जीवन मूलक वस्तुओं (रोटी, कपड़ा, मकान) की आवश्यकता भी महसूस होने लगी। आरंभिक मानव से आधुनिक मानव तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग, दूसरों द्वारा मारे गये या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़-पौधों से कंदमूल, फल, बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे-धीरे उन्होंने पत्थरों से औज़ार बनाना, आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए या चाक का आविष्कार किया। इसी प्रक्रिया में एक मानव से अनेक मानवों का जन्म हुआ। इस जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ परिवार, कुल, समाज तथा राज्य का विकास हुआ। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एवं राज्य के प्रार्दुभाव के साथ ही राज्य की जनता को कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता महसूस हुई उन मूलभूत आवश्यकताओं को कालान्तर में चलकर जन सुविधाऐं नाम दिया। कहते हैं कि ''आवश्यकता आविष्कार की जननी'' होती है। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती गई उसी गति से जनता को बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता महसूस होने लगी जो कि विभिन्न राज्यों (सरकारों) के समक्ष चुनौती के रूप में उभरती रही हैं। इन चुनौतियों अर्थात् इन बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने हेतु सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों का आविष्कार भी होता रहा है।

जन सुविधाओं का अर्थ

जन सुविधा एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों जन और सुविधा से मिलकर बना है। संयुक्त शब्द में सुविधा भी दो शब्दों 'सु'

ISSN 2348-3857

और 'विधा' जिनका समानार्थी अर्थ क्रमश: भलाई का द्योतक होना (Denoting goodness) तथा कार्य करने का तरीका (Mode) से मिलकर बना है। इस स्थिति में सुविधा का शाब्दिक अर्थ ''भलाई का कार्य करने का तरीका (कल्याणकारी कार्य)'' है। सुविधा की तरह ही जन का समानार्थी अर्थ लोग/प्रजा/ सामान्य जनता/सार्वजनिक/जनसाधारण (Public) है। इस प्रकार जन सुविधा का शाब्दिक अर्थ जनता की भलाई का कार्य करना है अर्थात् जनता के कल्याण हेतु सुविधाऐं (सहूलियतें) उपलब्ध करना या जनता के कल्याण हेतु कल्याणकारी कार्य करना है।

जनता के जीवन को आत्मनिर्भर, गरिमामय, सुलभ एवं सुखमय तथा जनता को जिंदा रखने में सहायक अर्थात् जनता के सम्पूर्ण कल्याण हेतु जिन मूलभूत आवश्यकताओं या बुनियादी जरूरतों (पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा ..... आदि) को ही जन सुविधाऐं कहा जाता है।

''जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। ये वे बुनियादी जरूरतें हैं जो जिन्दा रहने के लिए जरूरी हैं।'' भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जरूरतों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाऐं मुहैया करवाऐं।

'जन सुविधाओं को उन आधारभूत सेवाओं के रूप में परिभाषित किया है जिसकी आपूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्तिगत निवास स्थान इकाई (Individual dwelling Unit) को नहीं दी जा सकती है फलस्वरूप ये एक व्यक्तिगत रिहायशी निवास स्थान इकाई (Individual Residential dwelling Unit) से परे एक सार्वजनिक माहौल में उपयोग में लायी गयी है। जन सुविधाऐं जिसमें सुरक्षा एवं सुरक्षात्मक उपाय, संचार, मनोरंजन, स्पॉर्टस (खेल-कूद), शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक प्रशासन, धार्मिक सेवायें, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सेवाऐं सम्मिलित हैं की आवश्यकताओं की पूर्ति विशेषत: व्यक्तिगत या सामुदायिक जरूरत है।

जन सुविधाऐं जो केन्द्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय और वे भी जिनको सरकारी संस्थाऐं उपलब्ध नहीं कराती है। सामान्य तौर पर सरकार के उत्तरदायित्व के रूप में व्यक्त करने में समझा जाता है। फिर भी जन सुविधाऐं गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी उपलब्ध करायी जाती हैं जब सरकार इस सेवाओं को मुहैया कराने में असमर्थ (अपर्याप्त) प्रतीत होती है।

जन सुविधाओं के प्रकार/वर्गीकरण

आवश्यकताओं की पूर्ति के क्षेत्रों के आकार की निर्भरता के अनुसार जन सुविधाओं को उच्च क्रम (Higher order), मध्य क्रम (middle order), निम्न क्रम (Lower order), तथा चलती फिरती सेवा (Mobile) के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं -

(i) उच्च क्रम (Higher order) जन सुविधाऐं : ये सुविधाऐं सामान्यत: सम्पूर्ण क्षेत्र, महानगरीय क्षेत्र अथवा शहर में मुहैया करायी जाती हैं। (यथा चिकित्सालय, विश्वविद्यालय) और एकल रिहायशी बस्तियों (Single Residential settlements) में इन सुविधाओं को मुहैया नहीं कराया जाता है ये सुविधाऐं उन क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जाती है जहाँ अधिक से अधिक लोगों तक ये सुविधाऐं सरल व सुगम रूप से पहुँच सकें। इन सुविधा योजनाओं की योजना इस तरह बनायी जाती है कि सम्पूर्ण सामाजिक ढ़ाँचे का विकास हो सके।

(ii) मध्य क्रम (Middle order) जन सुविधाऐं :ये सुविधाऐं वे होती हैं जिनको विविध एवं भिन्न-भिन्न समुदायों को मुहैया करायी जाती है (यथा हाई स्कूलें, क्लिनकें)।ये सुविधाऐं व्यक्तिगत रिहायशी बस्ती (Individual Residential settlements) में आवश्यक है, परन्तु ये सुविधाऐं एक व्यक्तिगत् रिहायशी बस्ती से बढ़कर एक बड़ी जनसंख्या की दहलीज पर उपलब्ध करायी जाती हैं।

(iii) निम्न क्रम (Lower order) जन सुविधाऐं : ये वे सुविधाऐं है जिनको एक एकल अथवा रिहायशी समुदायों (Residential Communities) की एक निश्चित संख्या उपयोग में लेती है यथा-क्रेच अथवा पूर्व प्राथमिक विद्यालय।

(iv) चलती-फिरती (Mobile) जन सुविधाऐं : ये वे सुविधाऐं होती हैं जो कि एक समुदायों की एक बड़ी संख्या को सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती हैं। स्थानिक स्थितियों की वजह से उत्पन्न समस्याओं को हल करने में चलती-फिरती (Mobile) जन सुविधाओं का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है जैसे क्लिनकें, डाकघर और पब्लिक टेलीफोन्स।ये एक ही समय पर अधिक से अधिक लोगों को सुविधाऐं उपलब्ध कराती हैं।

जनसुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की भूमिका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य प्राचीन काल से आज तक राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा किया जा रहा है। हालांकि निजी संगठन भी जन सुविधाऐं उपलब्ध कराता है, लेकिन उनमें से अधिकतर निजी संगठन जन सेवा की अपेक्षा अपने

मुनाफे को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं अर्थात् उनका मूल उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, जिससे एक वर्ग इनके द्वारा मुहैया कराई गयी सुविधा से वंचित रह जाता है। अत: इसमें सरकार का वैधानिक हस्तक्षेप होना चाहिए ताकि इन सुविधाओं का लाभ जनता समता परख ढंग से उठा सके। इस हेतु सरकार प्राचीन काल से ही निरन्तर प्रयत्नशील है। जिनको निम्न प्रकार से दृष्टिगोचर किया गया है -

हीलर तथा फिगट का अभिमत है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा साम्राज्य अच्छे ढंग से शासित साम्राज्य थे। सिन्धु सभ्यता के नगरों के सुव्यवस्थित एवं संगठित नागरिक जीवन को देखते हुए ऐसा लगता है कि विभिन्न नगरों में नगरपालिकाओं की भी व्यवस्था रही होगी जो नगरों की समुचित व्यवस्था करती थी। प्रत्येक नगर के विभिन्न भागों में सम्भवत: पुलिस या रक्षकों की भी व्यवस्था थी जो कि नगर में शांति व्यवस्था बनाये रखती थीं।

मौर्यकालीन नगर प्रशासन अत्यन्त सुव्यवस्थित एवं उच्च कोटि का था। नगर का प्रधान अधिकारी 'नागरिक' होता था जिसके अधीन स्थानिक व गोप आदि अधिकारी होते थे। कौटिल्य व मैगस्थनीज ने नगर-प्रशासन का विस्तृत विवरण किया है जिससे पता चलता है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न नियम बने हुए थे जिनका पालन करना जनता के लिए अनिवार्य था। गृह निर्माण, सफाई व्यवस्था, अग्नि को फैलने से रोकने, मदिरालयों आदि सभी के लिए नियम थे। नगरों में जल व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, भूमिगत मार्गों की सही स्थिति आदि का नागरिक पूरा ध्यान रखता था। लोककल्याणकारी राज्य का आदर्श, सत्ता का अत्यधिक केन्द्रीकरण विकसित अधिकारी तंत्र, कठोर न्याय व्यवस्था, कुशल नगर प्रशासन, सुगठित गुप्तचर प्रणाली, सुविकसित राजस्व प्रशासन तथा विपुल जनकल्याणकारी कार्य मौर्य प्रशासक की मुख्य विशेषतायें थीं।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि राजा का आदर्श एक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा को अपनी प्रजा में उसी प्रकार भाव रखना चाहिए जैसा कि एक पिता का अपने पुत्र में होता है। अशोक भी अपने अभिलेखों में कहता है कि ''सारी प्रजा मेरी संतान की तरह है'' और सर्वलोक हित से बढ़कर कोई कार्य नहीं है।

मौर्यों की शासन व्यवस्था का चरम लक्ष्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र के निम्न उद्धरण से स्पष्ट होता है-

प्रजा सुखे सुखं राज्ञ: प्रजानां हिते हितम्।
नात्मप्रिये हितं राज्ञ: प्रजानां तु प्रियं हितम्।।

अर्थात् प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है वरन् हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे।

'चन्द्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों ने ही जनकल्याणकारी कार्यों में अत्यधिक रुचि ली और एक प्रजाहितैषी राज्य के आदर्श को चरितार्थ करने का प्रयास किया। विभिन्न सार्वजनिक कल्याण योजनाओं की हमें जानकारी मिलती है। सड़कों, अस्पतालों, विश्राम गृहों, मन्दिरों, शैक्षिक संस्थाओं, नहरों, कूपों आदि का निर्माण राजकीय प्रयासों से किया जाता था।

गुप्तकालीन शासक आदर्श शासक थे और लोक कल्याण उनका मूल उद्देश्य था। फाहियान ने लिखा है - ''सारे उत्तर भारत में स्थान-स्थान पर औषधालय और चिकित्सालय बने हुये थे जहाँ रोगियों की मुफ्त चिकित्सा होती थी और औषध-पथ्य आदि बिना मूल्य के मिलते थे। धर्मशालाएँ और पाठशालाएँ बनी हुई थी और सार्वजनिक दान की व्यवस्था थी। ''गुप्तकालीन राजाओं ने देश में आवागमन की सुविधा के लिए सड़के बनवायी तथा कृषकों के लिए सिंचाई का यथोचित प्रबन्ध किया। स्कन्धगुप्त के राज्यकाल में सुराष्ट्र में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था।

भारतीय शासन के मुगलकालीन इतिहास में स्थानीय सरकार विद्यमान थी। मुगलकाल के नगर का प्रशासन जिस अधिकारी के द्वारा चलाया जाता था वह कोतवाल कहलाता था।यह पुलिस संबंधी मामलों, दंड व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों का पता लगाना, सामाजिक कुरीतियों को मिटाना और इसी तरह के स्थानीय मामलों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी था। इस काल में स्थानीय प्रशासन के विषय में अबुल फजल कृत आइन-ए-अकबरी में विवरण मिलता है। नगर पुलिस का प्रधान अर्थात् कोतवाल नगर की रक्षा करना, बाजार पर नियन्त्रण रखना, लावारिस सम्पत्ति की देखभाल व उसे वारिस तक पहुँचाना, जन अपराधों को रोकना, सामाजिक बुराईयों को दूर करना तथा श्मशान, कब्रिस्तान व बुचड़खाने की व्यवस्था करना आदि कार्य करता था।

अंग्रेजों द्वारा भारत में यातायात और संचार के साधन, प्रेस की स्वतंत्रता, सड़कों, रेल, शिक्षा जैसी अनेक सुविधाओं का विकास किया गया लेकिन तत्कालीन समय में इनका विकास भारत के परिप्रेक्ष्य में जनकल्याण न होकर साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति तथा भारत में अंग्रेजीकरण को बढ़ावा देना था। हालांकि स्वतंत्रता के बाद भारत के लिये ये वरदान साबित हुए।

ISSN 2348-3857

भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही भारत में लोककल्याणकारी राज्य का प्रार्दुभाव हुआ तथा भारत का अपने स्वयं का संविधान निर्मित हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के अन्तर्गत जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है इसलिए जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्वाभाविक तौर पर सरकार की होती है। संविधान के अनुच्छेद 21-क के अनुसार, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

नीति निदेशक तत्त्वों में राज्य के कार्यक्षेत्र का उल्लेख किया गया है। जन-कल्याण एवं जनता की आत्मनिर्भरता के लिए नीति निदेशक सिद्धान्त भारत के लोकतांत्रिक प्रशासन का शिलान्यास करते हैं। निदेशक सिद्धान्त नागरिकों के प्रति राज्य के कर्त्तव्यों के प्रतीक हैं। राज्य को जन-कल्याण हेतु प्रेरित करते हैं।ये मनुष्य को गरिमामय जीवन प्रदान करने का आधार हैं।

सोल्टाऊ के अनुसार, ''सरकार से हमारा तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों एवं साधनों से होता है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है तथा उसे क्रियान्वित किया जाता है।'' सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अत: सरकार का कार्यक्षेत्र बढ़ने का तात्पर्य राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ना। लोकहित स्वरूप के कारण राज्य का कार्यक्षेत्र दिन-प्रतिदिन व्यापक होता जा रहा है। इस तरह वर्तमान काल में लोककल्याणकारी राज्य का बढ़ता स्वरूप सामने नजर आता है। राज्य आर्थिक असमानता दूर करने का प्रयास करता है। इसमें समाज के सभी कमजोर वर्गों को सहायता का आश्वासन रहता है। बूढ़े, बीमार, अनाथ, साधन विहीन, प्राकृतिक संकट से त्रस्त, दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को पर्याप्त आर्थिक सहायता का आश्वासन रहता है। सभी नागरिकों के लिए निश्चित शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है। समाज के सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का विकास किया जाता है। राज्य की ओर से सार्वजनिक अस्पताल, औषधालय तथा चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाता है। इसमें बेरोजगारों को काम दिलाने की जिम्मेदारी राज्य पर है। भारतीय संविधान में राज्य के ''नीति निदेशक तत्व'' भारत में लोकहितकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक लोककल्याणकारी राज्य में समस्त लोककल्याणकारी कार्य (जन सुविधाऐं) को संचालित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। क्योंकि राज्य एक अमूर्त संस्था है राज्य के कार्य संचालन के लिए एक मूर्त रूप सरकार की आवश्यकता होती है।

जन सुविधाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया गया है जिसमें स्थानीय स्वायत्ता को बढ़ावा दिया गया। चूँकि भारत में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर व स्थानीय स्तर पर क्रमश: संघीय सरकार, राज्य सरकार व सरकार का तीसरा स्तर जिसे हम स्थानीय शासन कहते हैं, कार्यरत हैं।

लोगों का संगठित समूह जब एक स्थान पर एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने लगता है तो उसमें एक सामुदायिकता और एकता की भावना उत्पन्न हो जाती है। इन लोगों के इस सामूहिक आवास के फलस्वरूप कुछ समस्याऐं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याओं का संबंध नागरिक जीवन की सुविधाओं से होता है जैसे : जल प्रबन्ध, सफाई प्रबन्ध, सड़कों-नालियाँ का रखरखाव, स्वास्थ्य, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था करना आदि जन सुविधाओं के अन्तर्गत आता है। चूँकि केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार का कार्यक्षेत्र विशाल होने के कारण सभी प्रकार की सुविधाऐं केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराना संभव नहीं है अत: स्थानीय स्तर की मूलभूत सुविधाऐं स्थानीय सरकार व गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी उपलब्ध करायी जाती हैं।

स्वतंत्रता के बाद से अब तक विभिन्न सरकारें विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजना आयोग द्वारा समय-समय पर चलायी जा रही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जनता को आवश्यक सहूलियतें प्रदान करती आ रही है। यथा निर्धनता को दूर करने के लिए भारत में समय-समय पर सरकार द्वारा अनेक निर्धनता-निवारण कार्यक्रमों को चलाया गया था। सरकार द्वारा IRDP (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम), NREP (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम), RLEGP (ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम), JRY (जवाहर रोजगारयोजना), TRYSEM (ग्रामीणयुवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम), SGSY (स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगारयोजना), JGSY (जवाहर ग्राम समृद्धियोजना), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि गरीबी उन्मूलन व रोजगार संवर्धन हेतु कार्यक्रम चलाये गये। इनमें से कुछ अभी भी चल रहे हैं तथा कुछ कार्यक्रमों/योजनाओं के नाम परिवर्तित कर चलाये जा रहे हैं।

जल आपूर्ति राज्यों का विषय है। पेयजल सुविधाओं को उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाऐं राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। केन्द्र सरकार वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग प्रदान कर राज्यों के प्रयासों को गति प्रदान करती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया

गया था। उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा दो मुख्य कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये थे - 1. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, 2. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण पेयजल हेतु।

इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने हेतु वर्तमान केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ यथा जनधनयोजना, स्मार्ट सिटीयोजना, आदर्श गांव योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और स्वच्छता अभियान तथा इसी तरह विगत राजस्थान सरकार एवं वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में मेट्रो रेल का संचालन तथा विभिन्न योजनाएँ यथा नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना, भामाशाह योजना एवं विभिन्न पेयजल योजनाओं सरीखी अनेक जन कल्याणकारी योजनाऐं लागू कर जनता को आवश्यक सहुलियतें प्रदान कर रही हैं।

एक ओर बहुत सारी जन सुविधाऐं ऐसी होती हैं जिसमें मुनाफे की गुंजाइश कम होती है उसमें निजी संगठनों की दिलचस्पी कम होती है यथा नालियों की साफ-सफाई, मलेरिया रोधी अभियान आदि। वहीं दूसरी ओर वे सुविधाऐं होती हैं जिसमें मुनाफे की गुंजाइश बहुत अधिक होती है यथा निजी विद्यालय, निजी चिकित्सालय तथा बाजार में टेंकरों एवं सील बन्द पानी की बोतलों से पानी की आपूर्ति। इन अधिक मुनाफे वाली सुविधाओं से धनी वर्ग तो लाभान्वित हो सकता है लेकिन गरीब वर्ग इन सुविधाओं से वंचित हो सकता है। इनका लाभ लेने में चन्द लोग ही सक्षम होते हैं। अत: गरीब एवं अमीर की खाई को दूर करने हेतु तथा लोगों के सम्मानजनक जीवन जीने हेतु जन सुविधाओं को मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है।

सरकार की भूमिका के संदर्भ में फ्रांस के संविधान में एक कथन है **"Womb to tome"** जिसका तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के पश्चात तक राज्य प्रशासन अपने दायित्व का कदम-कदम पर निर्वहन करता है अर्थात् जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के पश्चात् तक की सम्पूर्ण सुविधाओं को मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है।

कुछ मुस्लिम सम्राटों के शासन एवं अंग्रेजी शासन को नजर अन्दाज करें तो निष्कर्षत: मनुस्मृति, रामायण, महाभारत तथा सिन्धु सभ्यता से लेकर अब तक के उक्त इतिहास काल में सरकारें आम जनता के जीवन को खुशहाल आत्मनिर्भर, गरिमामय तथा जिंदा रखने के लिए किसी न किसी रूप में जन कल्याणकारी कार्य अर्थात् जन सुविधाऐं उपलब्ध कराती आ रही हैं। अत: उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार में सरकार की अहम् भूमिका होती है।

निष्कर्ष

जन सुविधाओं के विकास एवं विस्तार का उल्लेख प्राचीन भारतीय इतिहास (मनुस्मृति, सिन्धु घाटी सभ्यता, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, मुगलकालीन व ब्रिटिशकाल से लेकर अब तक) में है। किसी भी लोककल्याणकारी राज्य के लिए उस राज्य की जनता के लिए जन सुविधाओं का विकास एवं विस्तार होना उस राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। **अत: एक ''श्रेष्ठ मानवीय विकास के लिए एक गुणवत्ता पूर्ण जन सुविधाओं''** का विकास होना अति आवश्यक है। जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका का विस्तार हो जाता है। अत: सभी सरकारों को इस हेतु अधिक से अधिक वैज्ञानिक प्रयत्न करने चाहिए ताकि लोग श्रेष्ठ एवं सुखमय जीवन जी सके।

संदर्भ सूची

1. आशीर्वादम, ए.डी. तथा मिश्र, कृष्णकान्त, राजनीति विज्ञान, एस. चांद एण्ड कम्पनी लि. 7361 राम नगर, नई दिल्ली 2007
2. बसु, दुर्गादास, भारत का संविधान एक परिचय, लेसिक्स नेसिक्स बटर वर्थ वाधवा नागपुर 14th फ्लोर, बिल्डिंग नं. 10, टावर-बी, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-II गुडगांव, हरियाणा, इण्डिया 2011
3. भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107-दरबंगा केस्टल, इलाहाबाद-2, 2012
4. चतुर्वेदी, डॉ. मधुकर श्याम, प्राचीन भारत में राज्य व्यवस्थाएँ, रूपा प्रिन्टर्स एण्ड एसोसिएट्स जयपुर, 1986
5. चतुर्वेदी, डॉ. मधुकर श्याम, प्रमुख राजनीतिक विचारक, हर्षवर्धन जैन कॉलेज बुक हाउस चौड़ा रास्ता, जयपुर, 2003
6. गाइड लाइन्स फॉर हयूमन सेटलमेंट प्लानिंग एण्ड डिजाइन
7. फड़िया, डॉ. बी.एल., भारत में लोकप्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स हॉस्पिटल रोड, आगरा, 2003
8. फड़िया, बी.एल., लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स हॉस्पिटल रोड, आगरा, 2007
9. शर्मा, डॉ. अशोक, भारत में स्थानीय प्रशासन, दीपक परनामी, आर बी एस ए पब्लिशर्स, एस.एम.एस. हाईवे, जयपुर, 2002